बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

सं0सं0–6 / एन–08–56 / 2022............ / पटना–15, दिनांक–.............. / .... / 2023

माता वैष्णवी एजुकेशनल ट्रस्ट, भभुआ, कैमूर–821101 द्वारा प्रस्तावित राज नर्सिंग इन्स्टीच्यूट, ग्राम+पोस्ट–ओदार, थाना–सोनहन, भभुआ, कैमूर–821101 अन्तर्गत ए0एन0एम0 संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन, शपथ–पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेख समर्पित किया गया।

(2) सम्यक् विचारोपरांत नर्सेज ट्रेनिंग–रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–04 के उपनियम–II के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार राज नर्सिंग इन्स्टीच्यूट, ग्राम+पोस्ट–ओदार, थाना–सोनहन, भभुआ, कैमूर–821101 के अन्तर्गत ए0एन0एम0 संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

(3) भारतीय उपचर्या परिषद (INC), नई दिल्ली द्वारा निर्गत मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–116(6) दिनांक–15.02.2017 एवं आदेश ज्ञापांक–704(6), दिनांक–15.06.2020 में दिए निदेश के आलोक में संस्थान द्वारा भवन निर्माण करने एवं नियमानुसार भौतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् संस्थान द्वारा मान्यता के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवेदन पत्र आदेश ज्ञापांक–989(6), दिनांक–05.08.2019 द्वारा निर्गत चेकलिस्ट में निर्धारित दस्तावेज के साथ समर्पित करना होगा। मान्यता प्राप्ति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का नामांकन कर पठन–पाठन का कार्य आरंभ होगा।

(4) संस्थान को मान्यता के लिए आवेदन आदेश निर्गत की तिथि से अधिकतम 9 (नौ) माह के अन्दर समर्पित करना होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर मान्यता आवेदन समर्पित नहीं करने की स्थिति में अनुमति आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा नये सिरे से अनुमति के लिए आवेदन समर्पित करना होगा।

ह0 / –
(डॉ0 सुनील कुमार झा)
निदेशक प्रमुख, नर्सिंग
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–6 / एन–08–56 / 2022.......142(6) पटना, दिनांकः–.......01....... / ....02....... / 2023

प्रतिलिपिः– सचिव, राज नर्सिंग इन्स्टीच्यूट, ग्राम+पोस्ट–ओदार, थाना–सोनहन, भभुआ, कैमूर–821101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/2/23

निदेशक प्रमुख, नर्सिंग
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।